रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 487] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 20, 2009/फाल्गुन 29, 1930
No. 487] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 2009/PHALGUNA 29, 1930

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2009

**का.आ. 789( अ ).**—केन्द्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 22क, की उप-धारा (1) और लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 22क और कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 22क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपील प्राधिकरण की स्थापना करती है, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(1) श्री न्यायमूर्ति सी.वाई. सोमायाजूलू, न्यायाधीश, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद —अध्यक्ष

(2) श्री राकेश चंद्रा, क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिमी क्षेत्र), कारपोरेट कार्य मंत्रालय, ऐवरेस्ट, 5वां तल, 100, मरीन ड्राईव, मुंबई-400002 —सदस्य

(3) श्री अशोक हलदिया, 57/3, ओल्ड राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060 —सदस्य

(4) सीए कमलेश एस विकमसे, मैसर्स खीमजी कुंवरजी एंड कंपनी सूट 52, बाम्बे मुयूच्चल बिल्डिंग, दूसरा तल, सर फिरोजशाह मेहता रोड, फोर्ट, मुंबई-400001 —सदस्य [चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 22क की उप-धारा (1)(ख) के अधीन नियुक्त]।

(5) सीए टी. एन. मनोहरन, मैसर्स मनोहर चौधरी एंड एसोसिएट्स, न्यू नं. 10, (पूर्व सं. 30), अरकोट स्ट्रीट, टी. नगर, चेन्नई-600017 —सदस्य [चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 22क की उप-धारा (1)(ख) के अधीन नियुक्त] ।

| | |
|---|---|
| (6) श्री बी.डी. बोस,<br>डीएल-2, सेक्टर II, साल्ट लेक सिटी,<br>कोलकाता-700091 | —सदस्य<br>[लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 22क के अधीन नियुक्त] । |
| (7) श्री डी.सी. बजाज,<br>ई-87, आनंद निकेतन, नई दिल्ली-110021 | —सदस्य<br>[लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 22क के अधीन नियुक्त] । |
| (8) श्री पवन कुमार विजय,<br>डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1,<br>नई दिल्ली-110049 | —सदस्य<br>[कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 22क के अधीन नियुक्त] । |
| (9) श्री जी. गेहानी,<br>निदेशक और कंपनी सचिव,<br>पीएसएल होल्डिंग लिमिटेड, पुंज हाउस (तीसरा तल)<br>एम-13ए, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001 | —सदस्य<br>[कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 22क के अधीन नियुक्त] । |

2. अध्यक्ष की पदावधि चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 22ख की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार होंगी और सदस्यों की चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 22ख की उप-धारा (2), लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 22ख और कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 22ख के उपबंधों के अनुसार होंगी ।

3. अपील प्राधिकरण अपनी प्रक्रियाओं चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 22घ की उप-धारा (2) के उपबंधों के अनुसार अपनी प्रक्रियाओं को विनियमित करेगा ।

4. अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और निबंधन तथा भत्ते अपील प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें तथा प्राधिकरण के व्ययों को पूरा करने की रीति) नियम, 2006 द्वारा शासित होंगे ।

5. अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 12/15/2007-आईजीसी/पीआई]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2009

**S.O. 789(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22A of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), Section 22A of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959) and Section 22A of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), the Central Government hereby establishes an Appellate Authority consisting of the following persons, namely :—

| | |
|---|---|
| (1) Sri Justice C.Y. Somayajulu,<br>Judge, High Court of A.P., Hyderabad | —Chairperson |
| (2) Shri Rakesh Chandra,<br>Regional Director (Western Region),<br>Ministry of Corporate Affairs,<br>Everest, 5th floor, 100, Marine Drive,<br>Mumbai-400002. | —Member |
| (3) Shri Ashok Haldia,<br>57/3, Old Rajinder Nagar,<br>New Delhi-110060. | —Member |

| | |
|---|---|
| (4) CA Kamlesh S. Vikamsey,<br>M/s. Khimji Kunverji & Co., Suite 52,<br>Bombay Mutual Building, 2nd floor,<br>Sir Phirozshah Mehta Road, Fort,<br>Mumbai-400001. | —Member<br>[Appointed under sub-section (1) (b) of Section 22A of the Chartered Accountants Act, 1949. (38 of 1949)]. |
| (5) CA T. N. Manoharan,<br>M/s. Manohar Chowdhry & Associates, New No. 10,<br>(Old No. 30), Arcot Street, T. Nagar, Chennai-600017. | —Member<br>[Appointed under sub-section (1)(b) of Section 22A of the Chartered Accountants Act, 1949, (38 of 1949)]. |
| (6) Shri B.D. Bose,<br>DL-2, Sector II, Salt Lake City,<br>Kolkata-700091. | —Member<br>[Appointed under Section 22A of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959)]. |
| (7) Shri D. C. Bajaj,<br>E-87, Anand Niketan, New Delhi-110021. | —Member<br>[Appointed under Section 22A of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959)]. |
| (8) Shri Pawan Kumar Vijay,<br>D-28, South Extension Part-1, New Delhi-110049. | —Member<br>[Appointed under Section 22A of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980)]. |
| (9) Shri G. Gehani,<br>Director & Company Secretary, PSL Holding Ltd.,<br>Punj House (3rd floor), M-13A, Connaught Circus,<br>New Delhi-110001. | —Member<br>[Appointed under Section 22A of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980)]. |

2. The term of office of the Chairperson shall be as per the provisions of sub-section (1) of Section 22B of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) and of Members shall be as per the provisions of sub-section (2) of Section 22B of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), Section 22B of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959) and Section 22B of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980).

3. The Appellate Authority shall regulate its own procedure as per the provisions of sub-section (2) of Section 22D of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949).

4. The terms and conditions of services and allowances of the Chairperson and Members of the Appellate Authority shall be governed by the Appellate Authority (Allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairperson and Members and the manner of meeting expenditure of the Authority) Rules, 2006.

5. This notification shall take effect from the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 12/15/2007-IGC/PI]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.